रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 150] नई दिल्ली, बुधवार, मई 29, 2019/ज्येष्ठ 8, 1941
No. 150] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 29, 2019/JYAISTHA 8, 1941

**गृह मंत्रालय**

**( आपदा प्रबंधन प्रभाग)**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 29 मई, 2019

**सं. 41/2/2019-एनडीएम-II.—** भारत सरकार ने भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जैसे कि रोकथाम, शमन, तैयारी, बचाव, मोचन, राहत, पुनर्वास, अनुसंधान/नए तरीके अथवा पूर्व चेतावनी में अलग-अलग व्यक्तियों और संस्थाओं को, उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित करने हेतु एक अवार्ड शुरू करने का निर्णय लिया है।

2. इस पुरस्कार का नाम "सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार अवार्ड" होगा।

3. इस अवार्ड हेतु आवेदन करने के लिए केवल भारतीय नागरिक और भारतीय संस्थाएं पात्र होंगी। इस अवार्ड के लिए संस्थाएं, स्वयंसेवी संगठन, कॉरपोरेट संस्थान, शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान, मोचन/वर्दीधारी बल अथवा अन्य कोई संस्थान आवेदन कर सकते हैं।

4. इस अवार्ड के लिए उम्मीदवार ने आपदा प्रबंधन के निम्नलिखित क्षेत्रों में किसी एक अथवा अधिक क्षेत्रों में काम किया हो:

क. लोगों की जान बचाना।

ख. जीवन, पशु धन, आजीविका, सम्पत्ति की हानि तथा लोगों पर प्रतिकूल सामाजिक-आर्थिक प्रभावों की दृष्टि से आपदाओं के प्रभाव को कम करना।

ग. आपदाओं के दौरान प्रभावी कार्रवाई के लिए संसाधन जुटाना तथा उनकी व्यवस्था करना।

घ. आपदा प्रभावित क्षेत्रों और समुदायों में तत्काल राहत कार्य।

ङ. आपदा प्रबंधन के किसी क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का प्रभावी और अभिनव प्रयोग।

च. खतरा संभावित क्षेत्रों में आपदा शमन संबंधी पहल।

छ. मोचन और जोखिम न्यूनीकरण के लिए समुदायों का क्षमता निर्माण।

ज. पूर्व चेतावनी प्रणाली और लोगों को सही समय पर आपदा जोखिम संबंधी सूचना का प्रचार-प्रसार।

झ. आपदा प्रबंधन के किसी क्षेत्र में वैज्ञानिक/तकनीकी अनुसंधान और नया तरीका।

ञ. आपदा के बाद रिकवरी और पुनर्वास।

ट. आपदाओं के दौरान महत्वपूर्ण अवसंरचना और बुनियादी सेवाओं की निरंतर उपलब्धता।

ठ. आपदा के प्रति तैयारी के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करना।

ड. आपदा जोखिम प्रबंधन से संबंधित कोई अन्य क्षेत्र।

5. आवेदन करने की प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी:

क. अवार्ड के लिए आवेदन www.ndma.gov.in पर ऑनलाइन भरा जाएगा।

ख. कोई भारतीय नागरिक अथवा संस्थान इस अवार्ड के लिए किसी उम्मीदवार के नाम पर विचार किए जाने हेतु उसे नामित कर सकता है।

ग. आवेदन प्रतिवर्ष 1 जुलाई से 31 अगस्त के बीच किया जा सकता है।

6 क. हर वर्ष तीन पुरस्कार दिए जाएंगे। संस्थाएं और व्यक्ति दोनों इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं।

ख. यदि विजेता कोई संस्था होगी तो उसे एक प्रमाणपत्र और 51 लाख रु. का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। विजेता संस्था द्वारा इस नकद पुरस्कार की राशि का उपयोग केवल आपदा प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों के लिए किया जाएगा।

ग. यदि विजेता कोई व्यक्ति है तो उसे एक प्रमाणपत्र और 5.00 लाख रु. का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

घ. किसी संस्था द्वारा इस पुरस्कार हेतु आवेदन करने से इस संस्था से जुड़ा कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप में इस पुरस्कार के लिए आवेदन करने से वंचित नहीं होगा।

7. इस पुरस्कार की घोषणा प्रति वर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर 23 जनवरी को की जाएगी।

8. सदस्य सचिव/सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जाएगा जो प्राप्त हुए सभी आवेदनों की जांच करेगी और उन्हें निर्णायकमंडल (जूरी) को प्रस्तुत करेगी।

9. निर्णायक मंडल में निम्नलिखित शामिल होंगे:-

क. मंत्रिमंडल सचिव (अध्यक्ष)

ख. प्रधानमंत्री के अपर प्रधान सचिव

ग. गृह सचिव

घ. रक्षा सचिव

ङ. दो बाहरी विशेषज्ञ जिन्हें गृह मंत्री द्वारा नामित किया जाएगा।

च. सदस्य/सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

10. निर्णायकमंडल की सिफारिशें प्रधानमंत्री के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाएंगी और इस अवार्ड प्रमाणपत्र पर प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर होंगे।

11. जिन व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, उनके नाम भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे तथा भारत सरकार के निदेश से इसका एक रजिस्टर रखा जाएगा।

12. सामान्य निबंधन और शर्तें:

क. यदि किसी उम्मीदवार द्वारा दी गई कोई सूचना किसी भी तरीके से असत्य, गलत अथवा झूठी पाई जाती है तो उसे तीन वर्ष की अवधि तक इससे वंचित किया जा सकता है।

ख. स्क्रीनिंग कमेटी अथवा निर्णायकमंडल उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन/दस्तावेजों के बारे में स्पष्टीकरण मांग सकता है।

ग. निर्धारित तारीख के बाद प्राप्त हुए आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

घ. निर्णायकमंडल के पास किसी आवेदन को नामंजूर करने का अधिकार होगा।

ङ. शिकायतों का निराकरण सचिव, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा जिनका निर्णय इस मामले में अंतिम और बाध्यकारी होगा।

च. यदि पुरस्कार प्राप्तकर्ता (प्राप्तकर्ताओं) के बारे में बाद में कोई गलत सूचना प्राप्त होती है तो प्रदान किए गए पुरस्कार को रद्द और निष्प्रभावी कर दिया जाएगा।

संजीव कुमार जिन्दल,संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**

(DISASTER MANAGEMENT DIVISION)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the29th May, 2019

**No.41/2/2019-NDM-II.**—The Government of India has decided to Institute an award to recognize the excellent work done by individuals and Institutions in India in the field of Disaster Management like Prevention, Mitigation, Preparedness, Rescue, Response, Relief, Rehabilitation, Research/ Innovations or Early Warning.

2. The award shall be designated as " Subhash Chandra Bose Aapda Prabandhan Puraskar Award."

3. Only Indian nationals and Indian institutions are eligible to apply for the award. Institutions, voluntary organizations, corporate entities, academic/ research institutions, response/ uniformed forces or any other institution may apply as an institution for the award.

4. The candidate for the award must have worked in any one or more of the following areas of Disaster Management:

a. Saving human lives.

b. Reduction in impact of disasters in terms of loss of lives, live stock, livelihoods, property and adverse socio-economic effects on communities.

c. Mobilization and provision of resources for effective response during disasters.

d. Immediate relief work in disaster hit areas and communities.

e. Effective and innovative use of technology in any field of disaster management.

f. Disaster mitigation initiatives in hazard prone areas.

g. Capacity building of communities for response and risk reduction.

h. Early warning systems and dissemination of disaster risk information to people on real time basis.

i. Scientific/ technical reaserch and innovation in any field of disaster management.

j. Post-disaster recovery and rehabilitation.

k. Continued availability of critical infrastructure and basic services during disasters.

l. Creating awareness among the masses for preparedness against disaster.

m. Any other area related to Disaster Risk Management.

5. The procedure for applying shall be:

a. The application for the award shall be filled online on www.ndma.gov.in

b. Any Indian national or institute can nominate a candidate for consideration for this award. Candidate can also self nominate themselves.

c. The application can be filed between 1st July to 31st August each year.

6. a. There will be up to three awards to be conferred every year. Both Institutions and individuals are eligible for these awards.

b. In case the winner being an Institution, it shall receive a certificate and a cash prize of Rs.51 lakhs. This cash prize shall be utilized by the winning Institution for Disaster Management related activities only.

c. In case of the winner being an individual, winner shall receive a certificate and a case prize of Rs.5.00 lakhs.

d. An application by an Institution does not debar any individual from that institution to apply for the award in his individual capacity.

7. The award shall be announced on 23rd January each year, on the birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose.

8. A Screening Committee may be constituted by Member Secretary/ Member NDMA who shall screen all the application received and will present the same to the Jury.

9. The Jury shall comprise of the following:-

a. Cabinet Secretary (Chairman)

b. Additional Principal Secretary to the Prime Minister

c. Home Secretary

d. Defence Secretary

e. Two external experts to be nominated by the Home Minister

f. Member/ Secretary, NDMA

10. The recommendations of the Jury shall be submitted to the Prime Minister for approval and the certificate of the award shall be signed by the Prime Minister.

11. The names of those persons, upon whom the award to be conferred, shall be published in the Gazette of India and the Register there of maintained under the direction of the Government of India.

12. General Terms and Conditions:

a. A candidate can be disqualified for a period of up to three years, if any information provided by the candidate is found to be incorrect, wrong or false in any manner.

b. The screening committee or the Jury may seek clarifications on the application/ documents submitted by the candidate.

c. Applications submitted after the due date shall not be accepted.

d. The Jury reserves the right to reject any application.

e. Grievances shall be addressed by the Secretary, NDMA, whose decision in the matter shall be final and binding.

f. In the event of any adverse information on the awardee(s) coming to light subsequently, the award conferred shall be cancelled and annulled.

SANJEEV KUMAR JINDAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.05.29 22:15:48 +05'30'